भा.कृ.अनु.प.–राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन अनुसंधान केन्द्र
लाल बहादुर शास्त्री भवन, पूसा परिसर,नई दिल्ली 110012
ICAR- National Research Centre for Integrated Pest Management
Lal Bahadur Shastri Building, Pusa Campus, New Delhi – 110 012
Ph : 011-25843936, 25843935, Fax : 011-25841472

मि.सं-आई.जे.एस.सी/98/आई.पी.एम/951/05 दिनांक-15/03/2021

कार्यालय आदेश

परिषद के पृष्ठांकन पत्र संख्या GAC-21-35/2017 दिनांक 23/10/2017 तथा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1414/2015/JCA-2 दिनांक 1/9/2017 के अनुसरण में सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश के कार्यान्वयन में समूह 'ग' श्रेणी और पूर्ववर्ती 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हे वर्दी प्रदान की जाती है और जिनके लिए उसे नियमित रूप से पहनना आवश्यक होता है, को वर्दी भत्ता/ धुलाई भत्ता/ सिलाई प्रभार/ जूता (शू) भत्ता इत्यादि की देयता के सम्बंध में मौजूदा आदेशो के अधिक्रमण में निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-रा.स.ना.प्र.अनु.केंद्र की अनुमति से रु 5000/-(पाँच हजार मात्र) प्रति वर्ष की दर से वर्दी भत्ते का भुगतान निम्नलिखित शर्तो अनुसार किया जाएगा ।

1. वर्दी भत्ता/धुलाई भत्ता/सिलाई प्रभार/जूता (शू) भत्ता प्रभार इत्यादि को वर्दी भत्ते में शामिल कर दिया गया है ।
2. जिन श्रेणी के कर्मचारियों को पहले किसी प्रकार की वर्दी प्रदान की जा रही थी उन्हें अब से वर्दी प्रदान नहीं की जाएगी ।
3. वर्दी के रख रखाव और इसकी धुलाई से संबन्धित भत्ते, वर्दी भत्ते, में शामिल कर दिए गए है और अलग से इनका भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. वर्दी भत्ते की राशि वर्ष में एक बार जुलाई माह में कर्मचारियों के वेतन में जोड़ दी जाएगी ।
5. जैसा कि ऊपर पैरा-1 मे उल्लिखित है, वर्दी भत्ते की दर रु 5000/- प्रति वर्ष होगी । जब महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होगी तब वर्दी भत्ते की दर में हर बार 25% की वृद्धि हो जाएगी।
6. इस भत्ते में कर्मचारियों की मूल वर्दी ही शामिल है। अन्य विशेष वस्त्र संबन्धित मंत्रालय द्वारा मौजूदा मापदंडो के अनुसार प्रदान किए जाते रहेंगे ।
7. यह आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा ।

15/3/2021

(दिनेश चन्द्र)
प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक प्रमुख

वितरण:-

1. केन्द्र में कार्यरत सभी कुशल सहायी कर्मचारी / ड्राइवर (तकनीकी सेवा) भा.कृ.अनु.प रा.स.ना.प्र.केंद्र.
2. डी.डी.ओ./ स.वित.एवं लेखा अधिकारी, भा.कृ.अनु.प.-रा.स.ना.प्र.अनु.केंद्र.
3. सभी अनुभाग अधिकारी, भा.कृ.अनु.प.-रा.स.ना.प्र.अनु.केंद्र.
4. निजी सहायक, निदेशक कार्यालय, भा.कृ.अनु.प.-रा.स.ना.प्र.अनु.केंद्र ।
5. इंचार्ज, ए.के.एम.यू, भा.कृ.अनु.प.-रा.स.ना.प्र.अनु.केंद्र की वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।